

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.7(29)शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक-24.09.2021 के द्वारा प्रोवेंशनरी ट्रेनी श्रीमती कृष्णा मीणा, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि, डिग्गी-मालपुरा, टोंक द्वारा परीक्षाकाल अवधि में 90 दिवस से अधिक लिये गए असाधारण अवकाश की स्वीकृति पश्चात् शेष 79 दिवस का असाधारण अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है--

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	अवकाश का विवरण	कुल दिवस
1	श्रीमती कृष्णा मीणा, व्याख्याता-हिन्दी, डिग्गी-मालपुरा, टोंक	23.08.2018 से 09.11.2018 तक	कुल 79 दिवस का 'असाधारण अवकाश' (चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर)

इस कार्यालय-के समसंख्यक आदेश-दिनांक-03.12.2019 द्वारा कार्मिक के 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'पवित्त (नियंत्रण) विभाग' के मैमोरेण्डम दिनांक-22.05.2009 (संशोधित दिनांक-11.06.2014 एवं 07.08.2014) के प्रावधानानुसार कार्मिक के परीक्षाकाल में (169-30) 139 दिवस की वृद्धि होगी तथा बड़ी हुई अवधि से 'असाधारण अवकाश' और लेने पर परीक्षाकाल में तदनुसार वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी-सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जाये।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक. शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/अवकाश प्रकरण/2019-20/210 दिनांक-11-10-21  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) टोंक
- 4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मालपुरा, टोंक
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत
- 6 प्रधानाचार्य, राउमावि, डिग्गी-मालपुरा, टोंक को श्रीमती कृष्णा मीणा, व्या.-हिन्दी की मूल सेवापुस्तिका मय मूल पत्रादि संलग्न कर प्रेषित है (रजिस्टर्ड)
- 7 श्रीमती कृष्णा मीणा, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि, डिग्गी-मालपुरा, टोंक
- 8 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.7(30)शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक-29.09.2021 के द्वारा प्रोवैशनरी ट्रेनी श्री विरेन्द्र कुमार, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि, लुहावद, कोटा द्वारा परीक्षाकाल अवधि में 90 दिवस से अधिक लिये गए असाधारण अवकाश की स्वीकृति पश्चात् 28 दिवस का असाधारण अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	अवकाश का विवरण	कुल दिवस
1	श्री विरेन्द्र कुमार, व्याख्याता-हिन्दी, लुहावद, कोटा	17.09.2018 से 14.10.2018 तक	कुल 28 दिवस का 'असाधारण अवकाश' (चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर)

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक-03.12.2019 द्वारा कार्मिक के 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'दिल्ल (नियम) विभाग' के मैमोरेण्डम दिनांक-22.05.2009 (संशोधित दिनांक-11.06.2014 एवं 07.08.2014) के प्रावधानानुसार कार्मिक के परीक्षाकाल में (118-30) 88 दिवस की वृद्धि होगी तथा बढ़ी हुई अवधि में 'असाधारण अवकाश' और लेने पर परीक्षाकाल में तदनुसार वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्चाज उसकी सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/परीक्षारी-11/स्थाई-2015/2019 दिनांक- 11-10-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा
- 4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, इटावा, कोटा
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत
- 6 प्रधानाचार्य, राउमावि, लुहावद, कोटा को श्री विरेन्द्र कुमार, व्या.-हिन्दी की मूल सेवापुस्तिका मय मूल पत्रादि संलग्न कर प्रेषित है (रजिस्टर्ड)
- 7 श्री विरेन्द्र कुमार, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि, लुहावद, कोटा
- 8 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर